छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग

निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़
शंकर नगर, रायपुर

<u>अपील प्रकरण कमांक 831/2008</u>

1. श्री संदीप पुराणिक, – अपीलार्थी
मकान नंबर–25/91, ब्राहम्णपारा,
सोहाग मंदिर, आजाद चौक,
रायपुर (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

1. जन सूचना अधिकारी, – प्रति अपीलार्थी
कार्यालय छ0ग0 राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास)
सहकारी संघ, रायपुर (छत्तीसगढ़)

//<u>आदेश</u>//

(दिनांक 14 जुलाई, 2009)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री संदीप पुराणिक द्वारा जानकारी प्राप्त करने के लिए जन सूचना अधिकारी, कार्यालय छ0ग0 राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ, रायपुर के समक्ष दिनांक 09.04.2008 को आवेदन प्रस्तुत किया था, उक्त आवेदन पर समयावधि में जानकारी प्राप्त नहीं होने के कारण उनके द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 13.05.2008 को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। उक्त अपील पर प्रथम अपीलीय अधिकारी ने दिनांक 02.06.2008 को पूर्ण जानकारी प्रदान करने के निर्देश दिये थे, किन्तु उसके बाद भी पूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं होने के कारण उससे असंतुष्ट होकर उनके द्वारा आयोग के समक्ष दिनांक 28.07.2008 को यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किया गया और उभय पक्ष के तर्कों का श्रवण किया गया। प्रकरण में दिनांक 13.05.2008 के पत्र से आंशिक जानकारी अपीलार्थी को दी गई है, किन्तु अपीलार्थी ने उसे अपूर्ण बताया था, अतः आयोग द्वारा निर्देश दिये गये थे कि कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड का निःशुल्क अवलोकन 15 दिवस में कराया जावे और उसमें से कोई जानकारी चाहे तो वह भी निःशुल्क दी जावे तथा वन सुरक्षा समिति के जो जन सूचना अधिकारी है, उनके यहॉ जानकारी से संबंधित आवेदन का अंश उन्हें हस्तांतरित किया जावे। साथ ही अपर मुख्य सचिव, वन विभाग को निर्देशित किया गया था कि अपील में उठाये गये बिन्दुओं पर अपीलार्थी एवं जन सूचना अधिकारी की सुनवाई कर उनकी शंकाओं का निराकरण कर जानकारी निःशुल्क दिलाये तथा नियमों का पालन सुनिश्चित करावे। तत्पश्चात् जन सूचना अधिकारी ने निरीक्षण तो करा दिया और अपीलार्थी को कुछ जानकारी दिनांक 06.07.2009 को प्रदान की गई। प्रकरण में अंतिम सुनवाई के समय अपीलार्थी ने बताया कि अपर मुख्य सचिव, वन विभाग द्वारा आयोग के निर्देशानुसार दोनों की सुनवाई कर कार्यवाही नहीं की गई है तथा जो जानकारी दी गई है, उसके अनुसार स्थिति अत्यंत असंतोषप्रद है। बिना ड्रग लायसेंस के दवाओं का निर्माण एवं विकय किया जा रहा है, जो जनता के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होकर आपत्तिजनक है। ड्रग लायसेंस के बारे में दी गई जानकारी के संबंध में लिखा गया है कि प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है। चूंकि यह मामला जनता के स्वास्थ्य से संबंधित है, अतः अपर मुख्य सचिव, वन विभाग तथा प्रबंध संचालक, छ0ग0 लघु वनोपज संघ दोनों को निर्देश दिये जाते है कि वे प्रकरण को गंभीरता से लें और अपर मुख्य सचिव, आयोग के पूर्व निर्देशानुसार अब 15 दिवस के अन्दर सुनवाई के लिए बुलायें और उनके द्वारा कोई शेष जानकारी बतायी जाती है तो उन्हें निःशुल्क दिलायी जावे। साथ ही प्रबंध संचालक ड्रग लायसेंस प्राप्त करने के बारे में तत्परता से कार्यवाही करें, जब–तक लायसेंस प्राप्त नहीं हो जाता, तब–तक नियमों का पालन करते हुए दवाईयों का निर्माण एवं विकय पर प्रभावी रोक लगायें। प्रकरण में जन सूचना अधिकारी द्वारा दिये गये उत्तर में यह बताया गया है कि जो जानकारी दी गई है वह संघ के टास्क फोर्स शाखा से संबंधित थी और उनके द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार ही अपीलार्थी को दी गई है, इसलिए अपूर्ण जानकारी के लिए टास्क फोर्स शाखा ही उत्तरदायी रहती है। अतः अधिनियम की धारा–20(2) के अन्तर्गत प्रबंध संचालक, लघु वनोपज संघ को यह अनुशंसा की जाती है कि वे टास्क फोर्स शाखा में जो भी

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी है, उनके विरूद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही करें। प्रकरण में विलंब एवं अपूर्ण जानकारी के कारण अपीलार्थी को हुई आर्थिक/मानसिक क्षति के लिए अधिनियम की धारा–19(8)(ख) के अन्तर्गत वनोपज संघ की ओर से राशि 400/– रूपये क्षतिपूर्ति के रूप में अपीलार्थी को प्रदान करने के निर्देश दिये जाते हैं

3/ उपरोक्त निर्देशों के साथ उक्त अपील स्वीकार की जाती है।

(ए0के0 विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com